राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

राजीव गाँधी विद्याभवन,द्वितीय–तल
Email ID:rajsmsa.monitoring@rajasthan.gov.in

क्रमांक : रास्कूलशिप / जय / मॉनिटरिंग / विविध / 2020–21 / 18247 दिनांक 15-01-2021

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी,
समग्र शिक्षा,
समस्त जिले

अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा,
समस्त जिले

विषयः विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियाँ पुनः प्रारम्भ किए जाने एवं जारी एस.ओ.पी. की पालना बाबत।

संदर्भः प्रमुख शासन सचिव महोदया के आदेश क्रमांकःप.32(01)शिक्षा–1 / 2000 / पार्ट–7 / जयपुर दिनांक 15.01.2021

गृह विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 06.01.2021 एवं विभाग द्वारा कोविड–19 के बाद विद्यालयों में शिक्षण कार्य पुनः प्रारम्भ करने हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अनुसार दिनांक 18.01.2021 से विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में शिक्षण कार्य पुनः प्रारम्भ किया जा रहा है।

शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा विद्यालयों में कक्षा शिक्षण कार्य पुनः प्रारम्भ करने से पूर्व विद्यालय संचालन की मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) जारी की गई है। कोविड–19 से समाज में उत्पन्न चिन्ता दूर करने, राज्य सरकार के प्रयासों से अभिभावकों, शिक्षकों तथा विद्यार्थियों में सकारात्मक विश्वास एवं संबलन पैदा करने हेतु किए जाने वाले अतिरिक्त प्रयासों के तहत शिक्षा विभाग में कार्यरत समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक एवं परिषद् कार्यालय में कार्यरत समस्त जिला प्रभारी अधिकारी क्षेत्र के विद्यालयों एवं के.जी.बी.वी. छात्रावासों (टाईप–4) में दिनांक 18.01.2021 से 22.01.2021 तक भ्रमण कर मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) की पालना सुनिश्चित करेंगे एवं समाज में विभाग द्वारा किए जा रहे सकारात्मक प्रयासों से समुदाय, अभिभावकों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों में सकारात्मक विश्वास के संवाहक के रूप में दायित्व का निर्वाह करेंगे।

www.rajteachers.com

उक्त निर्देशों की निरन्तरता में निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय निरीक्षण/भ्रमण के दौरान समस्त विभागीय अधिकारी राज्य सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं गृह विभाग के निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार

Bellw

(डॉ. भंवर लाल)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रास्कूलशिप/जय/मॉनिटरिंग/विविध/2020—21/ 18247 दिनांक :— 15-01-2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग,राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक(I/II), रास्कूशिप, जयपुर।
5. समस्त उपायुक्त, रास्कूलशिप, जयपुर।
6. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, (RAS/RAcS)।
7. सयुक्त निदेशक, संबंधित संभाग आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (मा./प्रा.), समस्त जिले।
9. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, परिषद् मुख्यालय।
10. रक्षित पत्रावली।

Bellw 15.1.21.

राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

www.rajteachers.com